

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में ग्राम: कुमरांग कला थाना: टंडवा, थाना सं: 52, जिला :- चतरा, (झारखण्ड) के भूमि जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO संख्या. 1381 दिनांक. 10.5.2003 के तहत वृक्षों की मुआवजा प्रस्ताव की प्रक्रिया की गई है। जिसका विवरण निम्नवत है।

अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास) 1957	ग्राम	खाता सं	प्लॉट सं	सत्यापित रकवा (एकड़)	सत्यापित पत्तना नाम	सत्यापित भूमि में वृक्षों की संख्या	वृक्षों की प्रस्तावित मुआवजा राशि (रूपए)
1381 दिनांक 10.5.2003	कुमरांग कला	42	8	0.54	हरिवंशदास पितृ कनक नारायण दास	37	212354.86
		41	12	0.40	भुनेश्वर नारायण दास पितृ स्व. राम प्रसाद दास	8	48529.44
		2	11	0.84	बैजनाथदास पितृ सुखलादास	81	531657.14
			कुल	1.68		126	792541.44

अगर उक्त वृक्षों की मुआवजा प्रस्ताव तथा भूमि के सत्यापित भूस्वामी पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन / वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में परियोजना पदाधिकारी कार्यालय आम्रपाली परियोजना, महाप्रबंधक कार्यालय आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची किसी के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुमरांग कला, थाना सं: 52; जिला :- टंडवा, (रैयती), खाता सं. 42, 41 एवं 2 के अधीन प्लॉट सं क्रमश 8, 12, एवं 11 सत्यापित रकवा क्रमश 0.54 एकड़, 0.40 एकड़ एवं 0.84 एकड़, है जो क्रमश हरिवंश दास पिता कनक नारायण दास, भुनेश्वर नारायण दास पिता स्व. राम प्रसाद दास एवं बैजनाथ दास जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि में वृक्षों के मुआवजा प्रस्ताव तथा भूमि का सत्यापित भूस्वामी पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd /-)

राजस्व)

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं

सी.सी.एल, राँची